



प्रेस नोट थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर



सराहनीय कार्य 08.08.2025

थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा जानलेवा फायरिंग प्रकरण का सफल अनावरण कर 04 नफर वाँछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद देशी तमंचा 0.315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक नगर जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी सदर के पर्यवेक्षण तथा थानाध्यक्ष थाना सेहरामऊ दक्षिणी के नेतृत्व में थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा सर्विलांस टीम की मदद से जान से मारने की नियत से गोली मारने वाले 04 नफर वाँछित अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 02 अदद देशी तमंचा 0.315 बोर मय 04 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर व 01 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 07.08.2025 को वादिनी श्रीमती प्रियांशी पत्नी विकेश कुमार निवासी ग्राम सिंगरहा थाना सेहरामऊ दक्षिणी जिला शाहजहाँपुर ने मोटरसाइकिल सवार अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादिनी के पति विकेश के गोली मार देना जिससे वादिनी का पति गम्भीर रूप से घायल हो जाने के सम्बन्ध में थाना सेहरामऊ दक्षिणी पर मु0अ0स0 236/2025 धारा 109(1)/120बी बी.एन.एस. व 3/25/27 आयुध अधि0 पंजीकृत कराया था । साक्ष्य संकलन के आधार पर उपरोक्त मुकदमे में अभियुक्तगण 1. अंकित गुप्ता पुत्र प्रतिपाल गुप्ता उम्र करीब 23 वर्ष नि0 ग्राम बरखिरिया जट थाना पसगवाँ जनपद लखीमपुर खीरी 2. गौरव शर्मा पुत्र शंकर शर्मा उम्र करीब 24 वर्ष नि0 ग्राम सुखबशा थाना पसगवाँ जनपद लखीमपुर खीरी 3. विकास श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव उम्र करीब 20 वर्ष नि0 ग्राम बरखिरिया जट थाना पसगवाँ जनपद लखीमपुर खीरी 4. प्रियांशु सिंह पुत्र मुनिन्द्र सिंह उम्र करीब 19 वर्ष नि0 ग्राम डिंगुरपूर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर 5. सुमित सिंह पुत्र अमर सिंह नि0 ग्राम बखेड़ा थाना उचौलिया जनपद लखीमपुर खीरी का नाम प्रकाश में आया है, आज दिनांक 08.08.2025 को थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर समय 04.59 बजे वहद ग्राम सहजापुर नहर पुलिया से अभियुक्तगण 1. अंकित गुप्ता 2. गौरव शर्मा 3. विकास श्रीवास्तव 4. प्रियांशु सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया है अभियुक्त अंकित गुप्ता के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर व 02 अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर एवं अभियुक्त गौरव के कब्जे से 01 अदद अवैध देशी तमंचा 0.315 बोर (घटना में प्रयुक्त) व 01 अदद खोखा कारतूस 0.315 बोर व दो अदद जिन्दा कारतूस 0.315 बोर बरामद हुए । गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण -

1. अंकित गुप्ता पुत्र प्रतिपाल गुप्ता नि0 ग्राम बरखिरिया जट थाना पसगवाँ जनपद लखीमपुर उम्र करीब 23 वर्ष
2. गौरव शर्मा पुत्र शंकर शर्मा नि0 ग्राम सुखबशा थाना पसगवाँ जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 24 वर्ष
3. विकास श्रीवास्तव पुत्र राजेश श्रीवास्तव नि0 ग्राम बरखिरिया जट थाना पसगवाँ जनपद लखीमपुर खीरी उम्र करीब 20 वर्ष
4. प्रियांशु सिंह पुत्र मुनिन्द्र सिंह नि0 ग्राम डिंगुरपूर थाना सेहरामऊ दक्षिणी जनपद शाहजहाँपुर आयु करीब 19 वर्ष

पूछताछ का विवरण –

अभियुक्त प्रियांशु सिंह ने पूछने पर बताया कि 06 तारीख की शाम को हमारे साथ मौजूद इन्ही तीन लोगो द्वारा मेरी बहन को भगा कर ले जाने वाले विकेश कुमार नि0 ग्राम सिंगरहा को बन्दरिया से सिंगरहा जाने वाले रास्ते पर गोली मारी गयी थी जिससे वह घायल हो गया था आज यह लोग उसी बात का पैसा लेने के लिए आये थे तब तक आप लोगो ने पकड़ लिया। दिनांक 9 जुलाई 2025 को मेरे गाँव मे ही बने स्कूल के पास मेरे ममेरे भाई सुमित, अंकित गुप्ता, गौरव शर्मा आये थे और हम लोगो की आपस मे यह बात तय हुई थी कि अंकित गुप्ता व गौरव शर्मा अपने एक अन्य साथी विकास के साथ मिलकर मेरी बहन को भगाकर मेरी बेईजत्ती करवाने वाले विकेश कुमार की गोली मारकर हत्या करेंगे जिसके बदले में मैं उनको 2.5 लाख रुपये काम होने के बाद दूंगा। इसलिए मेरे द्वारा अंकित गुप्ता के व्हाट्सएप्प न0 पर विकेश कुमार की पहचान हेतु फोटो भी भेजी गयी थी और बन्दरिया तिराहे पर जाकर विकेश की पहचान हत्या करने वाले को कराई गयी थी। हम लोगो के बीच तय हुई बात के अनुसार कल अंकित गुप्ता , गौरव शर्मा व विकास अपनी मोटरसाइकिल से हमको फोन कर हमारे गाँव के पास आये मेरे द्वारा गौरव शर्मा को 02 जिंदा कारतूस 315 बोर दिये तथा दो तमन्चे व 02 जिंदा कारतूस 315 बोर का इन्तजाम अंकित व गौरव ने पहले ही कर लिया था उसके बाद इन तीनों लोगो ने जाकर 6 बजे से 7 बजे के बीच मे ग्राम बन्दरिया से (शाम) सिंगरहा जाने वाले रोड पर अपनी बाइक से आ रहे विकेश कुमार के सीने मे गोली मार दी गई वह गिर गया तो वह तीनों लोग मोटरसाइकिल से वहा से निकल गए और मुझे व्हाट्सएप्प व फोन पर काल कर यह बताया की काम हो गया। अन्य अभियुक्तगण द्वारा अभियुक्त प्रियांशु सिंह की बातों का समर्थन करते हुए अपना जुर्म स्वीकार किया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण -

1.मु0अ0स0 236/25 धारा 109(1)/120बी बीएनएस व 3/25/27 आयुध अधिनियम

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अंकित गुप्ता

1. मु0अ0स0 119/23 धारा 379/411 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी
2. मु0अ0स0 120/23 धारा 379/411 भादवि थाना पसगवां जनपद खीरी
3. मु0अ0स0 127/23 धारा 379/411 भादवि थाना मैंगलगंज जनपद खीरी
4. मु0अ0स0 376/23 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम थाना पसगवां , खीरी
5. मु0अ0स0 376/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना पदुआ जनपद खीरी
6. मु0अ0स0 427/24 धारा 317(2)/317(4) बीएनएस व 3/25 आयुध अधिनियम थाना पदुआ जनपद खीरी।
- 7.

आपराधिक इतिहास अभियुक्त विकास

- 1.मु0अ0स0 127/23 धारा 379/411 भादवि थाना मैंगलगंज जनपद खीरी।

बरामदगी का विवरण –

- 1.दो अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर
- 2.एक अदद खोखा कारतूस 315 बोर
- 3.चार अदद जिंदा कारतूस 315 बोर
- 4.चार अदद एन्डाईड मोबाईल फोन विवो कम्पनी
- 5.एक अदद मोटरसाइकिल शीज शुदा नम्बर प्लेट नहीं है।
- 6.1800 रुपया नगद।

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण:-

1. थानाध्यक्ष उ0नि0 श्री उमेश मिश्रा
2. उ0नि0 श्री विपिन गौतम
3. उ0नि0 श्री मनीष शर्मा
4. उ0नि0 श्री प्रियवृत्त दुहूण
5. का0 130 प्रदीप चौहान
6. का0 2637 अक्षय राठी
7. का0 2817 मनोज कुमार

